राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3)

क्र.एफ 4(5)ग्रारो/ग्रुप-3/एनआरईजीएस/06 जयपुर, दिनांक 29.102009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः-वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2010-11 के एवं मेट नियोजन के संबंध के दिशा-निर्देश।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपसे निवेदन है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2010-11 की नरेगा की वार्षिक कार्य योजना आपके द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 31 दिसम्बर, 2009 से पूर्व जिला परिषद से अनुमोदित करवाई जानी है।

इस कार्य योजना में गंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जैसलमेर के कमाण्ड क्षेत्र में डिग्गी मय स्प्रिंकलर सैट तथा खाला कॅवरेज के कार्य सम्मिलित किये जावे, साथ ही ऐसे जिले जिनमें काली मिट्टी है एवं जल आसानी से मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं होता है, में खेत तलाई(फार्म पोण्ड) के कार्य, रेगिस्तानी क्षेत्र के जिलों में वर्षा जल के टांका निर्माण के साथ फलदार पेड़ के कार्य एवं उदयपुर व कोटा संभाग में कुओं को वर्षा जल से रिचार्ज करने के व्यक्तिगत कार्य बड़े पैमाने पर लिये जावें, जिससे कृषि एवं जल संरक्षण के स्थायी कार्य होकर ग्रामीणों की कृषि उत्पादकता में सारभूत वृद्धि हो सकें।

इसी प्रकार कम वर्षा वाले जिलों में स्थित ऐसे स्कूल, अस्पताल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र जिनकी चारदीवारी भी बनी हुई है, उनमें रैन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाये जाने के कार्य भी लिये जावें, ताकि जल की कमी के विपरीत प्रभावों को राज्य में कम किया जा सके।

ग्राम पंचायतवार बनाये गये मेटो के पैनल में से मेटों को क्रमवार कार्य पर लगाया जावें, ताकि एक ही मेट एक माह से अधिक लगातार एक कार्य पर नहीं रहे। यह भी प्रयास किया जावें कि कार्यों पर 50 प्रतिशत मेट महिला हों।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)
परियोजना निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
2. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, ईजीएस